प्रेस नोट

थाना कोतवाली शहर दिनाँक 18-03-2023

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 215/2023 धारा 324/323/504/506/307 भा0द0वि0 में वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-का संक्षिप्त विवरण

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/2023 धारा 324/323/504/506/307 भा0द0वि0 में वांछित दो अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-दिलावर सिंह पुत्र प्रेम सिंह उम्र करीब 73 वर्ष 2. राहुल पुत्र दिलावर सिंह उम्र करीब 34 वर्ष निवासी गण म0न0 612 मौ0 शान्ति नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 ललित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

का0 1319 अर्पित कुमार, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

आरक्षी 2543 शुभम कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट

थाना कोतवाली शहर दिनांक 18.03.2023

घर में घुसकर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर मारपीट करने वाले 05 आरोपियों को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2017 को अभियुक्तगण 1- दिनेश 2- नरेश पुत्रगण स्व0 नन्दराम 3- अतुल पुत्र नरेश कुमार 4- शौबीर पुत्र स्व0 मुसद्दीलाल 5- आशीष पुत्र दिनेश कुमार निवासीगण अगरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी को गंदी-गंदी गालियां देने व जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0-109/17 धारा 147/452/427/323/504/506 भादवि व 3(1)(10) एससीएसटी एक्ट पंजीकृत है। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 18.03.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 308/323/427/452/506 भादवि व 3(1)(द) एससीएसटी एक्ट में प्रत्येक को 05 - 05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 22-22 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम पता-

1- दिनेश पुत्र स्व0 नन्दराम निवासी अगरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2- नरेश पुत्र स्व0 नन्दराम निवासी अगरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3- अतुल पुत्र नरेश कुमार निवासी अगरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4- शौबीर पुत्र स्व0 मुसद्दीलाल निवासी अगरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5- आशीष पुत्र दिनेश कुमार निवासीगण अगरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट

थाना हल्दौर दिनाँक 18.03.2023

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0-112/2023 धारा 323/304 बी0/498ए भादवि व ¾ दहेज अधिनियम में नामित 02 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक-18.03.2023 को वादी श्री रामचरन पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी कि उसकी पुत्री काजल उम्र करीब-21 वर्ष की शादी संदीप पुत्र नरेश के साथ दिनांक-08.10.2021 हुई थी । उसके सुसराल वालो के द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करना व मांग पूरी न होने पर मारपीट करना व आज दिनांक-18.03.2023 को उसका गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर तहरीर के आधार पर अभियुक्तगणः-1.सन्दीप पुत्र नरेश 2.विकास पुत्र नरेश 3.नरेश पुत्र नामालूम 4.सुनीता पत्नी नरेश निवासी गण ग्राम हसनपुर जट उर्फ गंगौडी थाना हल्दौर बिजनौर के विरुद्व मु0अ0स0-112/2023 धारा-498ए/304 बी0/323 भादवि व ¾ दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0स0-112/2023 धारा-498ए/304 बी0/323 भादवि व ¾ दहेज अधिनियम में नामित अभि0गण 1. नरेश पुत्र ध्यान सिंह 2.सुनीता

पत्नी नरेश निवासी गण ग्राम हसनपुर जट उर्फ गंगौडी थाना हल्दौर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पताः-

1. नरेश पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम हसनपुर जट उर्फ गंगौडी थाना हल्दौर बिजनौर।
2. सुनीता पत्नी नरेश निवासी ग्राम हसनपुर जट उर्फ गंगौडी थाना हल्दौर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना हल्दौर बिजनौर।

2.का0-2375 उपेन्द्र मलिक थाना हल्दौर बिजनौर।

3.म0का0-248 राखी श्यौरान थाना हल्दौर बिजनौर।